राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–नर्सिग / नर्स–2(F) / सी–71 पार्ट–2 / से0नि0 / 2020 / दिनांकः–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जालोर।

विषयः– श्रीमती महिलामणी एम0टी0, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के सेवानिवृति आदेश के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके अधीन कार्यरत श्रीमती महिलामणी एम0टी0, महिला स्वरस्थ्य दर्शिका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचौर का दिनांक 31.05.2021 को अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत होने जा रही है लेकिन कार्मिका के विरूद्व विभागीय जॉच की सूचना निम्नलिखित तीन बिन्दुओं में प्राप्त नहीं हुई हैः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित है अथवा नही है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित है अथवा नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन / लम्बित है अथवा नहीं है।

अतः कार्मिका के विरूद्व विभागीय जॉच की सूचना उपरोक्त तीन बिन्दुओं में निदेशालय को 03 दिवस में भिजवाने का श्रम करें ताकि कार्मिका के सेवानिवृति आदेश समय पर जारी किये जा सकें, चाही गई बिन्दुओं की सूचना समय पर प्राप्त नहीं होने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–नर्सिग / नर्स–2(F) / सी–71 पार्ट–2 / से0नि0 / 2020 / 719 दिनांकः– 19/4/21

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांचौर जिला जालोर को उनके पत्र कमांक 4586–88 दिनांक 15.12.2020 के कम में।
2. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर